(38)

श्री राजेश कुमार, भा0प्र0से0, आयुक्त, पूणिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 20.02.2025 (गुरूवार) 10:00 बजे पूर्वाह्न से प्रमंडलीय सभागार में आयोजित आंतरिक संसाधन, राजस्व, विकास एवं अभियंत्रण विभागों से संबंधित प्रमंडलीय समन्वय की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तदोपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। क्रमिक रूप से सभी विभागों एवं पदाधिकारियों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत मुख्य रूप से निम्नांकित निदेश दिया गया :–

1– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

2– केन्द्र सरकार एव राज्य सरकार के मुख्य परियोनाओं यथा NH HIGHWAY, रेलवे, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, पंचायत सरकार भवन आदि से संदर्भ में भू–अर्जन/भूमि उपलब्धता कराने की कार्रवाई को प्राथमिकता के आधार पर किया जाय। निर्माणाधीन महत्वपूर्ण संस्थानों तक सड़क का सुदृढ़ीकरण आवश्यतानुसार किया जाय। यदि किसी मामलें में माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी स्तर से कोई बंधेज की स्थिति हो तो अलग से अधोहस्ताक्षरी से चर्चा कर समाधान हेतु त्वरित कर्रवाई की जाय।

3– भू–अर्जन के तहत लंबित भुगतान को प्राथमिकता से निष्पादित किया जाय। संगत अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत पदाधिकारी के स्तर से लंबित मामलों का शीध्र समुचित एवं सकारण निष्पादन किया जाय। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों हेतु कार्यालय एवं अन्य भवनों के लिए विभिन्न अंचलों में भूमि उपलब्ध कराने का मामला लंबित पाया गया। इस संबंध में सभी समाहर्त्ता समीक्षा कर लें तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के सुसंगत प्रावधानों के तहत सभी बिन्दुओं की जॉच करते हुए सर्वथा सुयोग्य भूमि का प्रस्ताव तैयार कराकर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। सभी लंबित मामलों का एक माह में निष्पादन कराने का लक्ष्य रखा गया।

4–मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं यथा भू–अर्जन, Forest/Environment clearance/बिजली विभाग के सेफ्टी से संबंधित कार्य के निमित्त अन्य प्रशासनिक एजेन्सी के साथ समन्वय कर विधिसम्मत कार्रवाई हेतु विभागीय निदेश के अनुरूप जिलों में नोडल कोषांग का गठन किया जाय। यह कोषांग मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं का अनुश्रवण करेंगे एवं विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

5– आवास प्लस योजना के तहत संगत प्रावधनों के तहत शत–प्रतिशत योग्य लाभुकों का चयन किया जाय। इस संबंध में कई प्रकार के शिकायतें प्राप्त हो रही है। अतः इस हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने क्षेत्रान्तर्गत पर्यवेक्षण की जिम्मेवारी दी जाय। अभियान बसेरा के तहत भूमि हीन लाभुकों को भूमि उपलबध कराने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाय।

6–नीलाम पत्र वाद की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया जाता है कि राजस्व पर्षद के निदेशानुसार जिन बकायेदारों के विरूद्ध वारंट निर्गत है उनके विरूद्ध Body Warrant/Distress Warrant की कार्रवाई कर वसूली की कार्रवाई शीध्र की जाय। इस क्रम में यह भी निदेश दिया जाता है कि जिन बकायेदारों

का सही पता अंकित नहीं है और इस कारण से पत्र डाक से वापस आ गया है, ऐसे मामले में समाचार पत्र के माध्यम से नोटिस निर्गत किये जाने का जिलों से अद्यतन प्रतिवेदन अप्राप्त है, प्रतिवेदन शीघ्र समर्पित की जाय।

नीलाम पत्र वाद अंतर्गत 10 सबसे पुराने मामले को चिन्हित कर उनका त्वरित निष्पादन करें। जटिल एवं पुराने मामले अथवा जिन मामले में बकायेदार की मृत्यु हो गयी है, उनका निष्पादन विभागीय पत्र/परिपत्र/नियम के अलावे विभाग द्वारा इस संबंध में प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के स्तर से नीलाम पत्र पदाधिकारी की शक्ति प्रदत्त करने से संबंधित प्रस्ताव (यदि कोई हो) तो उसे अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

यह भी निदेश दिया जाता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू/प्रमंडल स्तर पर एक कॉल सेंटर स्थापित है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के निदेश के अनुरूप प्रतिवेदन प्रतिदिन भेजना सुनिश्चित किया जाय।

7–प्रमंडलीय आयुक्त न्यायालय में लंबित वादों के शीघ्र निष्पादन हेतु संबंधित वादों में वांछित निम्न न्यायालय मूल अभिलेख शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8–समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि सैरातों के सुरक्षित जमा निर्धारण/सैरात की बंदोबस्ती की स्वीकृति से संबंधित सभी प्रस्ताव एवं अभिलेख चालू वित्तीय वर्ष में ससमय अनुमोदन हेतु उपलब्ध करा दी जाय।

9– शराब बंदी कानून के तहत जप्त वाहनों की निलामी में काफी विलंब हो रहा है जिस कारण वाहन खराब होने की सम्भावना रहती है। अतः संगत नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाय। जप्त शराब की विनिष्टीकरण की जाय। शराब कानून के तहत वादों में Charge sheet समय पर सही तरीके से दायर किया जाय।

10–नगर निगम/नगर परिषद के स्तर पर कचरा निस्तारण हेतु डम्पिंग यार्ड हेतु भूमि उपलब्ध कराने के कई मामला लंबित है। समाहर्त्ता इसे प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

11– सभी विभागों के प्रमंडल/जिला स्तरीय पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि उनके विभाग/कार्यालय से संबंधित जिला स्तर पर लंबित मामलें विशेषकर योजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने/भूमि हस्तांतरण तथा अन्य महत्वपूर्ण लंबित मामलों की पूर्ण समीक्षा कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय ताकि अगली बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा विभाग वार/बिन्दु वार की जा सके।

12– समीक्षा के क्रम में क्षेत्रीय पशुपालन पदाधिकारी द्वारा पशुओं के टीकाकरण अभियान की जानकारी के क्रम में बताया गया कि प्रत्येक दिन Ambulance Van के माध्यम से दो कैम्प लगाकर पशुओं के टीका लगाये जाने की कार्रवाई की जाती है। आयुक्त द्वारा पशुओं के टीकाकरण कार्यक्रम के पंचायत स्तर पर प्रचार–प्रसार करने का निदेश दिया गया। पंचायत स्तर पर जागरूकता हेतु जिला पंचायती राज पदाधिकारी/प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायत के मुखिया को कैम्प लगाने के एक सप्ताह पूर्व सूचित करने का निदेश दिया गया। ताकि ग्राम पंचायत के मुखिया अपने क्षेत्र के पशु पालकों को कैम्प के संबंध में जागरूक कर सके एवं अधिक से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा सके। उप विकास आयुक्त इस हेतु अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे।

13– सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण/ग्रामीण कार्य विभाग को निर्धारित समय सीमा से तीन माह से अधिक हुये विलंब के सभी निर्माणाधीन योजनाओं की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त भू–अर्जन में भूमि उपलब्धता में किसी प्राकर की समस्या से संबंधित जिला वार प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

14– आज की समीक्षा बैठक में NHAI बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार राज्य पथ विकास निगम, BMSCIL के पदाधिकारी उपस्थित नहीं हैं। जबकि इनके माध्यम से कई महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वित हो रही है। अतः इनकी अलग से समीक्षा करने हेतु दिनांक–05.03.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे बैठक निर्धारित की जाती है।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–

आयुक्त

पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक ..... पूर्णिया, दिनांक .....

प्रतिलिपि :– नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णिया/कटिहार/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद्/सिविल सर्जन/जिला परिवहन पदाधिकारी/उत्पाद अधीक्षक/जिला अवर निबंधक/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम/जिला सहकारिता पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सिंचाई/पथ निर्माण विभाग/विद्युत अंचल/स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन/लघु जल संसाधन/राष्ट्रीय उच्च पथ, अंचल पूर्णिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परियोजना निदेशक, NHAI, कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम/ पथ विकास निगम/BMSCIL, को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप निदेशक पंचायती राज/कल्याण/खाद्य/खान एवं भूतत्व/मत्स्य/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें/संयुक्त निबंधक सहयोग समितियाँ/संयुक्त निदेशक, शष्य/सहायक महानिरीक्षक निबंधन/अपर राज्यकर आयुक्त/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन/उप नियंत्रक माप–तौल/उप निदेशक सांख्यिकी, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वन प्रमंडल पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

आयुक्त

पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक 731 पूर्णिया, दिनांक 25/02/2025

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ परिवहन विभाग/मद्य निषेध /भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग/शिक्षा विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/पथ निर्माण विभाग/समाज कल्याण विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ ।

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ ।

Rajesh.
25/2/2025
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।